(b) whether it is also a fact that some sugar mills are facing closure for being unable to meet the increasing costs of production in the wake of the recent fall in the prices;

(c) whether Government are considering any proposal to fix a minimum-price of sugar sold in the open market keeping in view all factors including the interests of the manufacturers; and

(d) whether Government have consulted the sugar manufacturers in the matter and whether any decision has been taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Although the sugar prices have shown a downward trend compared to the prices in the early part of the season, a final view will be possible only after the entire sugar produced has been disposed of.

(b) Government have no information.

(c) and (d). No, Sir.

All-India Soil and Land use Survey Organisation

1004. SHRI TENNETI VISWANATHANAM: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7011 on the 11th April, 1968 and state:

(a) whether any decision regarding the bifurcation of All-India Soil and Land Use Survey Organisation and its proposed merger with the Indian Council of Agricultural Research has since been taken; and

(b) if not, the reasons since therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Decision regarding bifurcation of the staff, etc. of the All-India Soil and Land Use Survey Organisation on the basis of the distribution of work as indicated in reply to Unstarred Question No. 7011, answered in the Lok Sabha on the 11th April, 1968, has been taken and necessary orders will be issued shortely.

(b) Does not arise.

---

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Death of woman employee of Patna Medical College Hospital and incidents connected with strike by non-gazetted Government employees.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज करने के कारण पटना मेडिकल कालेज अस्पताल की एक महिला कर्मचारी की मृत्यु तथा पटना और रांची में कई व्यक्तियों का घायल हो जाना ।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Sir, according to the information received from the State Government, the wife of one Shri Chhaba Ram was admitted in Patna Medical College Hospital at 9.15 P.M. on July 18. She was immediately examined by the doctor on duty who found her to be suffering from an abdominal disease. At the time of admission she was almost pulseless and her condition was very low. Despite all possible medical treatment she died at

5.15 A.M. on July 19. At the time of admission, there were no marks of injury on her person, nor was any allegation of assault made at that time. As the death appeared to be due to natural causes, the dead body was handed over to Shri Chhaba Ram. Several hours after her death. Shri Chhaba Ram informed the Supdt. Medical College Hospital orally that on July 14, 1968, his wife had told him that she had been assaulted by the police. Thereupon efforts were made to take charge of the dead body for *post mortem* examination in view of the allegations made by Shri Chhaba Ram. However, inspite of the request of, and persuasion by, the Sub-Divisional Officer, Patna the dead body was not handed over for *post mortem* examination. No report about the alleged assault was lodged either with the police or with the Sub-Divisional Magistrate. The State Government had decided that an inquiry should be made by a senior administrative officer into the allegations made by Shri Chhaba Ram regarding the causes of death of his wife. It has not been possible to proceed with this inquiry because a private complaint has been filed by one Shri Baikunth Ram on July 20, 1968 under Section 200 of the Code of Criminal Procedure before the Sub-Divisional Magistrate Patna who has asked a Magistrate to inquire into the complaint.

Reports received by me do not show that the police made a lathi charge either at Patna or at Ranchi.

श्री रामावतार शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, 11 जुलाई, को बिहार के 2 लाख 36 हजार अराजपत्रित कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की लेकिन उसके पहले ही 10 तारीख को 12 बजे रात से पटना मेडिकल कालिज अस्पताल मे हड़ताल प्रारम्भ हो गई थी। 11 तारीख को सवेरे श्रीमती गुलबिया देवी जिनकी मृत्यु लाठीचार्ज की वजह से हो चुकी है, के पति श्री छब्बा राम को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 तारीख को वहां सारे लोग जोकि कर्मचारी थे और उन में ज्यादातर सफाई करने वाले मेहतर थे, हरिजन थे हड़ताल पर चले गये। उन में गुलबिया देवी नामक एक मेहतरानी भी थी और उनके साथ तीन और मेहतरानियां थीं जिनके नाम श्रीमती तेतरी देवी, श्रीमती बिंदा देवी और श्रीमती लक्ष्मी देवी थे। वहां बिलकुल शान्तिमय तरीके से हड़ताल चल रही थी, कोई प्रोवोकेशन नहीं था। पटना में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में ऐसी शांतिप्रिय हड़ताल शायद आप ने कभी सुनी नहीं होगी। फिर भी कोई श्री शर्मा जो पीरबहोर थाने के दारोगा थे, के कहने पर उन की पुलिस ने लाठी चलाई और गुलबिया देवी और बाकी तीन और महिलाओं को जो वहां सफाई का काम करती थीं, मेहतरानियां थीं, उन को मारा गया। इतना ही नहीं कि उन को लाठी लगी बल्कि उन के पति पहले ही जेल में डाल दिये गये थे। उन्हें अस्पताल तक में भरती नहीं किया गया और वह घर चली गई। दो दिन तक वहां रहीं। उस के बाद जब छब्बा राम जमानत पर छूट कर आये तब उन्होंने सेवा सुश्रुषा की व्यवस्था की। पहले किसी भी महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया लेकिन जब उन की हालत खराब हो गयी तो बाद में उन को भर्ती किया गया। उसे पहले वहां के बड़े डाक्टर श्री ए० के० सेन ने आकर उस महिला की परीक्षा की थी और उन्होंने बताया था कि इन्हें चोट लगी है। इस तरीके से लाठी-चार्ज वहां किया गया और लाठीचार्ज की वजह से उन की मृत्यु हो गई।

उसी तरीके से दरभंगा में, रांची में भी लाठीचार्ज हुआ। रांची के लाठीचार्ज के बाद वहां की एक आदिवासी महिला श्रीमती राहिल कुज्जुर को अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल के और भी जिन महिलाओं अथवा मर्दों को चोटें लगी उन को भर्ती किया गया। मेरे कहने का मतलब

[श्री रामावतार शास्त्री]

यह है कि उनकी हड़ताल बिल्कुल शान्तिमय तरीके से चल रही थी और कोई प्रोवोकेशन नहीं था । उन की हड़ताल केवल दो मांगों के लिए चली । एक तो केन्द्रीय स्तर पर उन को महंगाई भत्ता दिया जाय और दूसरे यह कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से न हटाया जाय । इन दो मांगों को लेकर उन 2 लाख 36 हज़ार कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन पर जो लाठीचार्ज किया गया तो आखिर पुलिस को वह लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा ? नम्बर 1 क्या कोई प्रोवोकेशन हुआ था ? नम्बर 2 आप ने कहा कि कोई इनक्वायरी हो रही है तो उस से लोगों को संतोष नहीं होगा । अगर वह योंही मर गई जैसा कि आप ने कहा है तो 1 लाख नागरिकों का पटना मे जलूस नहीं निकलता । यही चीज प्रमाणित करती है कि उस महिला को पुलिस द्वारा लाठी से मारा गया और ऐसा जानबूझकर कर्मचारियों को हतोत्साहित करने, डराने और धमकाने के लिए किया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एक जूडिशिएल इनक्वायरी, न्यायिक जांच कराने के लिए तैयार है या नहीं ताकि सारी बात सफाई के साथ जनता के सामने आ जाय और इस माननीय सदन के सामने भी आ जाय ? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन का जवाब दें ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस तरह के आरोप पहले भी लगाये गये थे और उस के ऊपर ही हम लोगों ने यह सब जांच पड़ताल कराई थी और बिहार सरकार से इस के बारे में एक रिपोर्ट मंगाई थी। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वह मैंने माननीय सदन के सामने पेश कर दी है । उस के अनुसार यह बात साफ है कि इन महिला की जिन की कि दुखद मृत्यु हो गई उन को किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी थी । उन को पेट की बीमारी थी और उस बीमारी की शिकायत के कारण वह चल बसीं . . . (व्यवधान)

श्री हुकम चन्द कछवाय : (उज्जैन): गलतबयानी की जा रही है । पेट में लाठी मारी हैं जिससे कि वह औरत मरी है . . . .

MR. SPEAKER: Order, order. Shri Hukam Chand Kachwai may resume his seat now. The hon. Minister is giving his version. If the hon. Member wants that the hon. Minister should give the hon. Member's version, then he may type it and give it to the hon. Minister so that he may read that version.

श्री रामावतार शास्त्री : डा० सेन की रिपोर्ट को देखिये । उस में क्या लिखा है ?

MR. SPEAKER: I had given a full chance to the hon. Member.

श्री रवि राय (पुरी) : मंत्री महोदय असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : डा० ए० के० सेन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महिला को चोट लगी है . . . .

MR. SPEAKER: I had given a full chance to the hon. Member to speak. There are four other Members who are to ask questions. They can pursue the questions afterwards. If the hon. Member does not want the hon. Minister to reply, I can ask him to sit down and hear the hon. Member's speech, or if the hon. Member wants the hon. Minister to say what the hon. Member wants, then he may give it to the hon. Minister so that the hon. Minister may read out what the hon. Member has got typed. The hon. Minister is reading some information which he has got. If the hon. Member does not approve of it, then there are other Members like Shri Bhogendra Jha, Shri S. M. Joshi and others

questions and point out that what the hon. Minister had stated was wrong. If so many Members start shouting simultaneously, what purpose is served by that? There are four Members whose names appear on this notice, and one of them can point out that what the hon. Minister has said is wrong, and that can be done easily.

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने डा० ए० के० सेन के बारे में कहा है ।

MR. SPEAKER: If the hon. Members do not want the hon. Minister to answer, I would ask him to sit down, and hon. Members can go on asking questions. If the hon. Minister has said something which is not correct, then Shri Bhogendra Jha, for instance, can point out that the hon. Minister has made a wrong statement. Can he not do that?

श्री सीताराम केसरी (कटिहार) : आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: May I complete my answer?

MR. SPEAKER: He need not reply to the interruptions.

श्री विद्या चरण शुक्ल: मैं कह रहा था कि इस तरह की सूचना हमें बिहार सरकार से मिली है और उस के आधार पर मैं माननीय सदन को सूचना दे रहा हूं । जब उन को अस्पताल में भरती किया गया उस समय इस तरह की कोई शिकायत नहीं था कि पेट में कोई लाठो मारी गई । अब यह बात अलग है कि उन के लाठी मारी गई या नहीं, लेकिन इस की रिपोर्ट नहीं थी । मगर उन की मृत्यु पर जब इस तरह के आरोप लगाये गये तब उन का शरीर पोस्ट मार्टेम के लिये मांगा गया परन्तु शरीर पट र्टेम के लिये नहीं दिया गया ।

एक माननीय सदस्य : किस ने नहीं दिया ?

श्री विद्या चरण शुक्ल: जो पति देव थे उन्होंने नहीं दिया . . . . (व्यवधान)

श्री हुकम चन्द कछवाय : लाश तो अस्ताल में थी ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जब शरीर शव परीक्षा के लिये नहीं मिला तब कानूनी तौर पर या मेडिकल तौर पर यह कहना कि उस का क्या कारण था यह बड़ा मुश्किल है । शव परीक्षा हो जाती तब यह स्पष्ट हो जाती कि असली कारण क्या था ।

जहां तक लाठी चार्ज का सवाल है, मैंने मुख्य जवाब में कहा कि बिहर सरकार से जो सूचना मिली है उस में उन्होंने पूरा खण्डन किया है कि कोई लाठी चार्ज पटना या रांची में किया गया है ।

श्री भोगेन्द्र झा : (जयनगर) : जिस तरह से मामला हुआ है वह तो बहुत संगीन ह ही, लेकिन जो सवाल का जवाब दया गया है उस के कारण और भो संगीन वह हो जाता हैं । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहूंगा कि उस दिन लाठी चार्ज हुआ जब उन के पति जेल गये थे । उसी दिन बिहार अराजपत्रित कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश्वर गोप ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर इस लाठी चार्ज का जिक्र किया । इस बात को मंत्री महोदय ने खुद ही कहा कि उस के स्वामी ने सुपरिन्टेंडेंट से कहा तब भी उन्होंने इन्जरी रिपोर्ट नहीं दी । चूंकि बिहार सरकार के अधिकारियों ने अस्पताल के

[श्री भोगेन्द्र झा]

अधिकारियों को आदेश दिया इस लिये इंजरी, रिपोर्ट ली नहीं गई। अगर इजरी रिपोर्ट ली गई होती तब यह नहीं कहा जा सकता था कि इन्जरी नहीं पाई गई। चोट ऐब्डोमैन में थी और उस से ही मृत्यु हुई।

जब जुलूस लोगों के ल कर चला तो जुलूस को तोड़ने के लिये दफा 144-लगाई गई। पुलिस ने धमकाया और कहा कि लाश हम छीन लेंगे। स्वभाविक है कि जब लोग दाह संस्कार के लिये जा रहे हैं उस समय लाश क्यों ली जानी चाहिये? मैं तो पूछता हूं कि पहल लाश क्यों दे दी गई जब दो लिखित कम्प्लेन्ट्स मौजूद थीं, एक तो संघ के महामंत्री की और दूसरी सुपरिन्टेंडेंट की, जिसे उन्होंने खुद कबूल किया हैं।

दूसरी बात यह, आज भी मौजूद है, कि रांची में इतवार के रोज जिस दिन आफिस का कोई काम नहीं था, दिमागी अस्पताल की महिला कर्मचारियों पर लाठी चार्ज कराया गया। मैजिस्ट्रेट ने अपने हाथ से लाठी चलाई। उस में 14 महिलायें घायल हुई, 6 के सिर फुटे हैं और खून बहा है। श्रीमती राहिल कुचरू अभी भी अस्पताल में भरती है जब कि यहां पर इन्कार किया गया है कि कहीं लाठी चार्ज नहीं हुआ। मैं आग्रह करूंगा कि या तो मंत्री महोदय स्वयम् हिम्मत करें, नहीं तो आप आदेश दें कि वह कुछ माननीय सदस्यों को ले कर वहां जायें और सदर अस्पताल में जा कर देख लें कि आज भी वह वहां भरती है और उस का सर फुटा हुआ है, उन का ही नहीं, 6 अन्य लोगों का फूटा ह। जिन के ऐब्डामेन में चोट लगी हैं उन के खून बाहर नहीं निकला, खून भीतर निकला और मृत्यु हुई हैं। कुल 14 महिलायें घायल हुई हैं, 6 सिर फटे हैं, 95 गिरफ्तार हुई हैं। इस के अलावा आज की खबर है कि रांची में कल घर घर में पुलिस घुसी है, महिलाओं के घरों में घुसी हैं और घरों में घुस कर उसन को मारा हैं। उन से कहा कि तुम जवाब मत दो। इतना ही नहीं, मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार का हवाला दे रहा हूं कि किस हद तक वहां के अधिकारी पगले हो गये हैं।

एक माननीय सदस्य : किस का अखबार है ?

श्री भोगेन्द्र झा : यह आप के मित्र गोयन जी का हैं। रांची के पूरे जिले में दफा 144 लगा दी गई है और पूरा पुलिस का राज्य कायम कर दिया गया हैं। दतून तोड़ने के लिये एक आदिवासी का खून कर दिया गया हैं। मैं दूसरे खून का जिक्र कर रहा हूं। यह जो खबर है आज की उस को मैं आप के जरिये से सदन पटल पर रखना चाहता हूं :

> "A prohibitory order under sec. 144 had been promulgated all over the Gumla sub-division from today. The firing followed a quarrel between the armed guards over collecting datwan (twigs used as tooth brush)".

आज भी श्रीमति राहिल कुचरू अस्पताल में हैं। 14 महिलायें घायल हुई है 6 के सिर फूटे हैं। इस पर गुस्से के कारण आदिवासी ....

MR. SPEAKER: There should be some end somewhere.

श्री भोगेन्द्र झा : उन्होंने इस से पूरी तरह इन्कार किया है। मैं चाहता हूं कि इस की जांच कराई जाय। एक तार वहां से आया है, उस को भी मैं आप के आदेश से यहां पर रखना चाहता हूं :

> "14 lady strikers wounded by lathi charge at Ranchi. Condition of some serious. 5 male strikers seriously injured. 141 arrested. 95 ladies jailed".

इस की जुडिशल इंक्वारी की मेरी मांग है। जहां तक अस्पताल का मामला है हर जगह आदेश दिया गया है कि बयान मत दो। आदिवासीं के बारे में यहां यह इन्कार कर चुके हैं। इस लिये मैं चाहता हूं कि सदन के सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल वहां भेजा जाय जो स्वयम जा कर सब कुछ देख ले।

श्री विद्या चरण शुक्लः मैंने पहले ही कहा कि जहां तक बिहार गवर्नमेंट की सूचना है और जैसी सूचना उन्होंने हम को दी है, उस के अनुसार वहां कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। इस लिये लाठी चार्ज से घायल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): What is this? They also come from Bihar.

श्री विद्या चरण शुक्लः और जो आरोप लगाये गये हैं (**व्यवधान**) उन को भी बिहार गवर्नमेंट ने गलत बतलाया है।

श्री भोगेन्द्र झा : वह कहते कि लाठी नहीं चलाई गई है और मैं कहता हूं कि वहां पर लोग घायल पड़े हुए हैं।

SHRI S. M. BANERJEE: What is his reply?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I said that these allegations were made and the Bihar Government has denied all these allegations as untrue. As for the question of lathi charge, I said there was no lathi charge, according to the information given by the Bihar Government; so there is no question of anybody being injured by lathi charge.

SHRI S. M. BANERJEE: Let MPs go and find out.

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय को यह बतलाना चाहता हूं कि जब बिहार में राष्ट्रपति शासन चल रहा है तो सदन में यह जवाब देना कि बिहार गवर्नमेंट कहती है...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): बिहार में गवर्नमेंट है कहां?

श्री एस० एम० जोशी : वह बिहार गवर्नमेंट बोले हैं। वह कहते हैं कि बिहार गवर्नमेंट कह रही है कि वहां लाठी चार्ज हुआ ही नहीं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सवाल तथ्यों का है, और बिहार की हुकूमत के लिये आज राष्ट्रपति यानी यहां की जो हुकूमत है वह जिम्मेदार है। ऐसी हालत में दोनों तरफ से यह इल्जाम लगाया जा रहा है एक ओर यहां यह कहा गया कि हम लाश मांग रहे थे उन्होंने नहीं दिया, इससे जनता पर यह असर होगा कि यह बात झूठ ही होगी नहीं तो लाश क्यों न देते, दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि जब अन्त्येष्टि का जुलूस चल रहा था तो रास्ते में कहते हैं कि हमें पोस्ट मार्टम करना है इसलिये लाश दे दो। यह दूसरी बात हो गई। जब हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रपति यानी इस शासन पर होती है तब मैं समझता हूं कि तथ्यों के बारे में इस तरह का जवाब देना ठीक ठीक नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में और ज्यादा नहीं कहूंगा।

मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि तथ्यों की जांच करने के लिये क्या राष्ट्रपति द्वारा कोई जांच कमेटी मुकर्रर की जा सकती है?

यह बात याद रखनी जानी चाहिये कि जिन स्त्रियों के बारे में यह शिकायत है वह हरिजन स्त्रियां हैं, जो सफाई का काम करती हैं। आदिवासियों में से भी हैं। बिहार का मामला हम लोगों को जरा ठीक तरह से समझ लेना चाहिये। भद्र समाज के लोगों पर जब अन्याय होता है तब अगर आप आनाकानी करें तो भी मैं समझता हूं। लेकिन अगर आदिवासियों के बारे में कोई बात होती है, दलित वर्ग के साथ कोई अन्याय होता है और तथ्यों के बारे में कोई झगड़ा हो तो उसकी

[श्री एस० एम० जोशी]

जांच अवश्य होनी चाहिये उस जांच को कराने की जिम्मेवारी मौजूदा हालत में इस सरकार की है । इस वास्ते मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह जांच होगी या नहीं होगी ।

हमें मामले की जड़ में भी जाना होगा । वहां के अराजपत्रित कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है । इस हड़ताल को चलते बहुत दिन हो गए हैं । वह अब भी जारी है । मैं समझता हूं कि इस तरह से कटुता बढ़ाने से या बदले की भावना से काम नहीं लेना चाहिये । हड़ताल अच्छी है या बुरी इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं । हड़तालियों की तरफ से कहा गया है कि हड़ताल के सम्बन्ध में तथा उनकी मांगों के सम्बन्ध में बातचीत हो । आज बिहार में राष्ट्रपति का शासन है और उनके जो फंक्शंज़ उनका आप निर्वाह कर रहे हैं । क्या आपको यह पता है कि वहां जब संविद की सरकार थी तब उसने कैबिनेट में यह फैसला करवाया था कि अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ समझौता किया जाना चाहिये । यदि आपको यह पता है तो क्या राष्ट्रपति जी की ओर से जो हुकूमत वहां चल रही है वह बिहार सरकार की संविद सरकार के कैबिनेट के फैसले को अमल में लायेगी और अमल में लाकर अराजपत्रित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगी या नहीं करेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक भारत सरकार की जिम्मेदारी का सवाल है उस जिम्मेदारी से मैंने कभी इंकार नहीं किया है । जब तक वहां राष्ट्रपति जी का शासन है, पूर्ण रूप से हम लोगों की जिम्मेवारी है । इसमें कोई शक की बात नहीं है । वहां पर जो शासन तन्त्र है उससे जो रिपोर्ट आई है वह मैंने आपको बता दी है ।

जहां तक जांच का सम्बन्ध है मैंने अपने मुख्य वक्तव्य में कहा है कि इसके बारे में एक प्राइवेट कम्पलेंट की गई थी सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के सामने जिस को रजिस्टर कर लिया गया और उसकी अदालती जांच एक मैजिस्ट्रेट के द्वारा हो रही है । ऊपर से और जांच कोई दूसरी करने का सवाल नहीं है ।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का सम्बन्ध है, उस प्रश्न के औचित्य या अनौचित्य पर मैं इस ध्यानाकर्षण पर विचार के समय कुछ नहीं कहना चाहता हूं । यदि उसके बारे में अलग से प्रश्न उठाया जाए और उसकी अध्यक्ष महोदय, अनुमति दे दें तो मैं उसके सम्बन्ध में और कुछ कह सकता हूं ।

SHRI S. M. BANERJEE: He has not answered the question put by Mr. Joshi.

MR. SPEAKER: If Mr. Joshi thinks that it has not been answered, let Mr. Joshi say that.

SHRI K. K. NAYAR (Bahraich): On a point of order.

श्री एस० एम० जोशी : मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि लाठी चार्ज हुआ ही नहीं । यह तो एक तथ्य की बात है, जिसको साबित किया जा सकता है । इसके लिए जांच होगी या नहीं होगी ।

दूसरा सवाल मैंने एक और पूछा था । संविद की सरकार ने जो निर्णय किया था उसको पूरा करने की जिम्मेवारी इस सरकार की यानी राष्ट्रपति जी की सरकार की है या नहीं है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक माननीय सदस्य के कर्मचारियों के बारे में प्रश्न का सम्बन्ध है इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सिलसिले में मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । यदि अलग से प्रश्न उठाया जाए और उसकी अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा दी जाए तो मैं पूर्ण रूप से उत्तर देने के लिए तैयार हूं ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अलग से कहां मौका मिल सकता है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : बिहार सरकार से जो सूचना मिली है वह ठीक है, इसलिए उसमें कोई जांच करने का प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है ।

श्री रामावतार शर्मा (ग्वालियर) ठीक से जवाब ही नहीं दिया जाता है ।

श्री गुणानन्द ठाकुर (सेहरसा) : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री गुणानन्द ठाकुर : केवल एक प्रश्न ।

श्री मधु लिमये : प्रक्रिया के बारे में मैं भी एक बात कहना चाहता हूं । एक ही वाक्य में कहना चाहता हूं ।

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER: Will you kindly sit down, all of you. It is calling attention. If I allow you, it will be breaking the whole procedure. Today the Bihar question is coming. The whole day we are going to discuss only Bihar. If you think that the answer is not satisfactory, you throw that Bill; you have a right to do so. I have no objection; I cannot help this way or that way. Shri K. K. Nayar wanted to raise a point of order.

SHRI K. K. NAYAR: In connection with a previous question, when the questioner himself wanted to pursue the point on the ground that the answer was not satisfactory, you were pleased to rule that the next person who was coming could raise the point. In the present instance, you say that Mr. Joshi himself should pursue the point. I want to know that is the procedure?

MR. SPEAKER: No, no. I have understood your point. This time Mr. Banerjee shouts; somebody else also shouts. Only when it is over the next man can ask; not otherwise. He comes very rarely; it is difficult for him to understand the procedure.

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER: I can only appeal to hon. Members to sit down. If still they go on, I can only say that all that they say will not go on record.

SHRI S. M. BANERJEE: *

SHRI SAMAR GUHA (Contai): *

SHRI GEORGE FERNANDES (Bombay South): *

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: *

MR. SPEAKER: It is 100 per cent wrong to raise points like this without notice. I have not given permission for anybody to speak now. There is a feeling in the House that only those who shout will get a chance. Even Acharya Kripalani came this morning and told me so and I feel very small. That is why I say that the hon. Members should not take the law into their hands. If even elders like Kripalaniji and other eminent Members of both sides of the House feel that only those who get up and shout get a chance, I feel helpless. You are all hon. Members of this House; I respect you. I want you to follow certain rules. If you do not want to follow the rules, you can always change them. After all, I follow the rules. Therefore, I request friends to observe the rules.

श्री मधु लिमये : नियमों के अनुसार चलना चाहिए, यह तो आप मानते हैं ?

MR. SPEAKER: Yes; every rule must be followed. It is enough for me. You give notice; if the Speaker disallows it, you raise it here again. That is against the rules; that is 100 per cent against the rules.

श्री मधु लिमये : लेकिन अस्वीकार करना भी तो नियमों के खिलाफ हो सकता है । उसका क्या इलाज है ?

*Not recorded.